

31 जनवरी 2020 की तिथि में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, सर्व

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

मनीष मजहर

2. वर्तमान धारित पद

डी.ई.ओ.

3. वर्तमान वेतन

Gross Salary 58,817/-

अगले वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मिथल	उर		लगभग 40 लाख	स्वयं एवं पत्नी के नाम पर	अ.ग. उर निगाह मुसल से खरीदा (मौज) कायाम्य से पत्र क्र. 182, दिनांक 25/8/2010 से अनुमति प्राप्त कार्ड बैंक गणना 200पी.एच.पी.ई आयल राशी 2-वय की वयस पर पत्नी की आय वि. मिथल के रिटायरमेंट राशी से प्रयुक्त है।		

• जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959-के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर .....  
 नाम .....  
 पद .....

मनीष मजहर  
 डी.ई.ओ.



31 जनवरी 2020 डी स्थिति में

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राब

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. वृज किशोर शिखा 2. वर्तमान धारित पद सहायक  
 3. वर्तमान वेतन 37500/4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94, वेदवली (बी.डी.ए.) काशी कामखनर (कुई) मध्याह्न	गृह (निसम लगाए)	—	(मूल्य) 20 लाख (लगभग)	स्वयं के नाम	जी. डी. ए. कोठारे ले ली जपर (बैंक ले लोन, SBI Bhopal ले)	—	—

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर वृज किशोर शिखा  
 नाम स.डी.  
 पद M.P. S.O. Bhopal



31 जनवरी 2020 की स्थिति में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, शर्त

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: विवेकानन्द नामपल्लीवार 2. वर्तमान धारित पद सहायक  
3. वर्तमान वेतन 46,349/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/7/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम- भोरी तहसील - दुनूर जिला - भोपाल	निरंक	आवासीय प्लॉट	-	स्वयं के नाम से	विण्डर से अर्जित किया गया। दिनांक - 22/12/2010 मूल्य 4,00,000/- (चार लाख)	निरंक	-

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर विवेकानन्द नामपल्लीवार

नाम विवेकानन्द नामपल्लीवार

पद

31 जनवरी 2020 की रिपोर्ट में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, शर्तें

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

विजय कुमार गौर

2. वर्तमान धारित पद

सहायक ग्रेस-III

3. वर्तमान वेतन

36200/-

Basic

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2020

उस जिले, उप. संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① नीलखंड तह. एलूर जिला- जोधपुर	गृह	-	14 लाख लगभग	श्रीमती रति गौर (पति)	स्वीकृत वर्ष 2009 C.P.F. पार फायनल अर्जित आय से परिवार के सदस्यों से	M.C	
② 02 एकड़ अर्धचंद्र क्षेत्र भूमी ग्राम-दवई जिला- जोधपुर	अर्धचंद्र क्षेत्र भूमि		8.5 लाख अर्धचंद्र क्षेत्र	do	स्वीकृत (बाबूजी) के सेवानिवृत्त उपराज प्राप्त राशि से	M.L	

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

विजय कुमार गौर  
सहायक ग्रेस-III  
01/07/2020



31 जनवरी 2020 की स्थिति में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, शर्त

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. राजेश कुमार बख्शी  
 2. वर्तमान धारित पद स.ई. 10 215-3  
 3. वर्तमान वेतन 4250/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2020

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LIG-II/24 महाराष्ट्र, इलाहाबाद कामोली, बाराबंकी जिला रक्षा रेजि. शोचन. 462043 (2040)	रक्षा	—	40000 रु.के	स्वयं की रक्षा पर	स्वयं की रक्षा रक्षा रेजि. रक्षा रेजि. शोचन	—	—

• जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर .....  
 नाम राजेश कुमार बख्शी  
 पद स.ई. 10 215-3



31 जनवरी 2020 की स्थिति में

GAD Form: (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राय

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

दिलीप महेगावली  
MPSOS

2. वर्तमान धारित पद

सीपास


2181 यक - 3

3. वर्तमान वेतन 42501-200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
फालत - लैरागाढ़ - - सीपास - (C.T 0 दादा कालोनी रोड - अय्यपा मंदिर रोड (दादा कालोनी का संपत्ति क्षेत्र) लैरागाढ़)	लदी	जमी 4 5	शोला या लाल लाल	दिलीप महेगावली एवं पतिदर्जा के नाम	लोन एवं CPF पॉलिसी	जमी	

जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर   
 नाम दिलीप महेगावली  
 पद सीपास



31 जनवरी 2020 सीरिफ में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, सर्व

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. शंजोश कुमार् जगत 2. वर्तमान धारित पद (मूल्य)  
 3. वर्तमान वेतन 25800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/20

उस जिले, उप. संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सबैत्रा भोपाल	Maing. 107 केनाल किनारे सबैत्रा, भोपाल.		27,71,425/-	संयुक्त नाम से मेरे एवं मेरी पत्नी श्रीमती आशा जगत के नाम से	शुक्र बैंक लोन सेव जमा पूंजी, LPI से राशि के।	Nil	Nil

• जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर शंजोश कुमार् जगत  
 63/102/20  
 नाम शंजोश कुमार् जगत  
 पद (मूल्य)



31 जनवरी 2020 की रिपोर्ट में

GAD Form 8

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 22/09/2001

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुनील वर्मा

वर्तमान धारित पद चतुर्थ श्रेणी (सिव्य)

3. वर्तमान वेतन 26600/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2020

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गोविंद गार्डन भोपाल तहसील दुधर जिला-भोपाल (मध्य)	फ्लैट L16-114 क्र.क्रो.क प्लेस रायसेन रोड भोपाल जिला-भोपाल (मध्य)	NIL	करेहलाख	श्रीमती रेखा वर्मा धरनी	पर्सनलोन व स्वयंकी राशि एवं फिला जी के द्वारा दी गई राशिओं सहयोग साइडो की मदद	NIL	सन् 2004

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य नतलाया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर .....  
 नाम सुनील वर्मा  
 पद चतुर्थ श्रेणी (सिव्य)



31 जनवरी 2020 डी.रि.फॉर्म में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, शर्त

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. **विष्णु प्रसाद चन्देल** 2. वर्तमान धारित पद **भृत्य म.प्र.राज्य कोष स्कूल**

3. वर्तमान वेतन **26600, 10A** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम- नीलबड तह- डजुर जि- भोपाल	पट्टे वाली कुञ्जी नं. 182 निवा मगत कारोकी 74 बंगला भोपाल	टलाह 20x40 आठ लो स्कार कीट	3,72,000/- तीन लाख बहत्तर हजार रुपये	श्रीमति सुमन चन्देल, पत्नी	बिलडर से खरीदा गइ डि० 13/2/18 लॉन्घ की व्यक्त राशि एवं पितृजी के द्वारा मदद राशि तथा परिवार के सहयोग से पूर्व में निकाले गए CPF- कार्य पर्यन्त कोष राशि से	निरंक	

• जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **विष्णु प्रसाद चन्देल**  
 नाम **विष्णु प्रसाद चन्देल**  
 पद **भृत्य**  
 दिनांक **5/2/20**



31 जनवरी 2020 की स्थिति में

GAD Form- (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राब

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

श्रीमती सारिता डोब्रे

2. वर्तमान धारित पद

मूल्य

3. वर्तमान वेतन .33597-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LM AX-427 शोपनि इन्फो कोलार रोड कोयल	गृह	NIL	08 (काट मात्र)	NIL	खरीद	NIL	

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959-के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

Smt. Sarita Dobre

पद

मूल्य



31 जनवरी 2020 की तिथि में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, सर्व

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

संगीता राणे (नि.)

2. वर्तमान धारित पद

सहा. ग्रे-3 (नि.)

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
संदीपराणे K संगीता प्रणे D-27 विजय विलास कोल्होनी नयापुरा कोल्हा रोड (म.उ.) जिला - भोपाल तह - हुब्ल (भोपाल) राज्य - मध्य प्रदेश	गृह - D-27 विजय विलास कोल्होनी नयापुरा कोल्हा रोड भोपाल (म.उ.)	Nil	35000/- पंजीय लक्ष केलवाभा	<del>बतलाइये</del> स्वयं एवं परि श्री संगीपराणे गाम पर धारित है	शरीर द्वारा अर्जित किया गया है 03/03/2008 MIS गामजी विलास कर्म. 3/3 रंगमबाई अप्लेक्स जोन II एम.पी. नगर भोपाल (म.उ.) शुभा शुक्ला 10-3/194 अरेंडा गुफा कोल्होनी भोपाल (म.उ.)	Nil	

जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर .....  
 नाम संगीता राणे (नि.)  
 पद सहा. ग्रे-3 मध्य प्रदेश शासकीय  
 स्थल शिक्षा परिषद् भोपाल (म.उ.)



31 जनवरी 2020 की रिपोर्ट में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, यदि

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

गायत्री नेगी

2. वर्तमान धारित पद

सहायक ग्रेड-3 (नियुक्ति)

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आवासीय अखड़ा क्र. 453 ग्राम-शुआरकेड़ा विकास स्वयं-फंडा तहसील-हुपूर, भोपाल आवासीय सोलाना-सी. आई. स्टेट	आवासीय भूमि	-	लगभग 16,000.00	लगभग 16,000.00 स्वयं	स्वयं खरीद - 09-01-12 सी. आई. लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड M.D. शंकरशर्मा लिमिटेड	निरंक	

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
  - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
  - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

*(Signature)*

नाम

गायत्री नेगी

पद

सहा. ग्रेड-3 (नियुक्ति)



31 जनवरी 2020 की रिपोर्ट में

GAD Form (W) 1

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राय

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो संदीप शर्मा (वि.) 2. वर्तमान धारित पद सब डी 3 (वि.)  
 3. वर्तमान वेतन ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	वैसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>संदीप शर्मा &amp; संगीता शर्मा                      D-27 विजय विलास कॉलोनी                      मयापुरा भोपाल (म.प्र.)                      जिला - मयापुरा                      राज्य - मध्य प्रदेश</p>	<p>D-27                      विजय विलास                      कॉलोनी मयापुरा                      भोपाल                      (म.प्र.)</p>	<p>N/A</p>	<p>350000/-</p>	<p>संदीप शर्मा &amp; संगीता शर्मा के नाम पर धारित है</p>	<p>खरीद राशि                      क्रियाशाली                      03/03/2008                      म/स मयापुरा विस्थापन                      क्र. 3/3201/मयापुरा                      कापे लक्ष्मण जोगाल                      नगर भोपाल मयापुरा                      सुभा सुभा 410 मयापुरा                      सुभा HO- E-3/194 भोपाल                      कोलोनी भोपाल (म.प्र.)</p>	<p>Nil</p>	

• जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर .....  
 नाम संदीप शर्मा (वि.)  
 पद सब डी 3 (वि.) मयापुरा भोपाल  
सब डी 3 (वि.) मयापुरा भोपाल (म.प्र.)